

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(165)एमई/ग्रुप.1/81

जयपुर, दिनांक 13/9/17


:: आदेश ::

राज्य सरकार की अधिसूचना प. 11(7) एफडी/रूल्स/2008, दिनांक 12.09.2008 एवं दिनांक 06.10.2008 के अनुसरण में डॉ० माधव प्रसाद जोशी, वरिष्ठ प्रदर्शक, फोरेन्सिक मेडिसिन (सेवानिवृत्त), मेडिकल कॉलेज जोधपुर को वरिष्ठ प्रदर्शक के पद पर प्रथम नियमित नियुक्ति तिथि से 30 वर्ष की राजकीय सेवा निरन्तर एवं सन्तोषजनक पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-5 में उल्लेखित दिनांक से पी.बी.-3, 15,600-39100 में निम्नानुसार ए.सी.पी. स्वीकृत की जाती है:-

क्र.सं.	नाम व पद	जन्म तिथि	प्रथम कार्य ग्रहण तिथि	ए.सी.पी. स्वीकृति दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.
1.	डॉ० माधव प्रसाद जोशी वरिष्ठ प्रदर्शक, फोरेन्सिक मेडिसिन (सेवानिवृत्त), जोधपुर	22.09.1955	24.01.1982	24.01.2012 से ग्रेड पे 6800/-

उपरोक्त जारी स्वीकृति के क्रम में वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 एवं दिनांक 06.10.2008 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि डॉ० माधव प्रसाद जोशी को एसीपी स्वीकृति तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान), 2008 के पे-बैंड-3 (15,600-39100) ग्रेड पे 6600/- में वेतन प्राप्त कर रहे है।

आज्ञा से,


(रतन लाल)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक 1311-12 दिनांक 01.05.2017 के संदर्भ में।
2. डॉ० माधव प्रसाद जोशी, वरिष्ठ प्रदर्शक, फोरेन्सिक मेडिसिन (सेवानिवृत्त) द्वारा मेडिकल कॉलेज जोधपुर।
3. रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव